

97



Central Dy. No ..... 23  
 Dated ..... 9/6/12  
 Legal Section, Vibes Mimar  
 Delhi Development Authority  
 Dealing Act

# जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधान सभा
- सदरय, दिल्ली विधान सभा
- सदरय, लोक लेखा समिति
- सदरय, कार्य मन्त्रिमण्डल समिति

OFFICE OF THE D.Y. (P.I.G.)  
 MPPRTC, D.D.A. N. DELHI-2  
 Dy. No. .... 1279 .....  
 Dated ..... 9/6/12 ..... फॉन

अर्ध. शा. पत्र. स. नि. से. 121464 "प्रथम अनुस्माकर"

माननीय उपराज्यपाल जी,

विषय:- एक ही नाम से दो प्लॉटों को जोड़कर बनाये गये छोड़ा (मकानों) का बिल्डिंग प्लान स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

MPPRTC, D.D.A. N. DELHI-2  
 Dy. No. .... L-103 .....  
 Dated ..... 5/9/12 .....

मेरे पास आज दिनांक 16.07.2012 को रोहिणी में रहने वाले लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आया और मुझे जानकारी ही कि दिल्ली नगर निगम द्वारा कुछ समय पूर्व एक ही व्यक्ति के नाम से दो जुड़े हुये प्लॉटों को जोड़कर बनाये गये जोड़ों के नक्शे स्वीकृति किये जा रहे थे लेकिन अब बद कर दिये हैं जिसके कारण उन जोड़ों के सामश काफी परेशानी हो रही है जिन्होंने जोड़ों के नक्शे स्वीकृति होने की चाह में जोड़े खरीद लिये हैं अब न ही उनके नक्शे स्वीकृति हो रहे हैं एवं न ही वह जोड़े बना पा रहे हैं। जबकि दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन के अधिशासी अभियंता रोहिणी क्षेत्र-1 द्वारा आर.टी.आई. में मॉगी गई जानकारी में आई.टी. न0-123 / आर.टी.आई / एस.ई.(रोहिणी-1) 10 दिनांक 19.05.2010 के जवाब में जोड़ों के बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने का जवाब प्राप्त हो रहा है। मैं पत्र के राथ जोड़ों के स्वीकृत बिल्डिंग प्लान की सूची और अपनी दिल्ली सांस्थानिक अखबार की कटिंग एवं अन्य अखबारों की कटिंग एवं आर.टी.आई. के जवाब की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ जबकि मास्टर प्लान 2021 के पैरा 3.3.2 गाईड लाइन फॉर री-डिवलपमेंट स्कीम के केंद्राकारी 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जोड़ों के नक्शे स्वीकृत किये जायेंगे।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है मास्टर प्लान 2021 को ध्यान में रखते हुये एवं जिन लोगों ने प्लॉट ले जाने लिये हुये हैं उनके जोड़ों के (दो प्लॉटों) को जोड़कर मकान बनाने के लिये समर्थित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करे कि पहले की तर्जे पर प्लॉट के जोड़ों के बिल्डिंग प्लान स्वीकृति करने की कृपा करे एवं की सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत बरताने की कृपा करे। इस सन्दर्भ में गुज़ों आपके कार्यालय से दिनांक 30 अप्रैल 2012 का लिखा पत्र संख्या 440 / 1136-37 प्राप्त हुआ है जिसकी फोटोप्रति में इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

आदर सहित,

श्री रोजेन्द्र खन्ना जी  
 उपराज्यपाल दिल्ली,  
 राजनिवास गार्ड,  
 दिल्ली-110054

प्रतिलिपि:- 1. उपराज्यपाल दिल्ली राजनिवास प्राधिकरण दिल्ली  
 2. I.P. PAI A.T.I. (Vector Planning) M.P. DDA

आपका

*Bhergoon*  
 (जय भगवान अग्रवाल)

JWT 9/8  
 AD (P) III